XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रेस्टो.1455–दो/15 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर आज प्रस्तुत । आवेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर, अभि. उप. । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । प्रकरण आदेशार्थ । सदस्य	
2-8-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया। विचारोपरान्त रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गए कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्रकरण कमांक आर.972–दो/02 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 रेस्टोरेशन

रेस्टो/1455-II-15

रघुराजसिंह तनय जगन्नाथसिंह निवासी ग्राम-- हर्दी तहसील हनुमना जिला– रीवा ——— आवेदक

विरूद्व

1.श्रीमती शांतिबाई पत्नी स्व0 सरमनसिंह

2. हरीसिंह 3. हरभजनसिंह 4. हरिनाम 5 हरदयाल

6. हरिगोपाल पुत्रगण स्व0 सरमनसिंह

7.शिवलालसिंह पुत्र दशमलसिंह

8. रघुनन्दन 9. रामनरेश 10 रामपाल पुत्रगण जगन्नाथसिंह

11. द्वारिका सिंह पुत्र जगतपतिसिंह मृत द्वारा विधिक मुनिमहेशसिंह पुत्र स्व0 द्वारिकासिंह

निवासीगण ग्राम– हर्दी तहसील-- हनुमना जिला– रीवा

म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा–9 के अंतर्गत निर्मित नियमों के नियम–32 के अधीन आवेदन पत्र.

महोदय,

आवेदक का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है--

1. यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक–आर 972–दो/2002 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 28–04–2015 को नियत था.

2. यह कि, नियत दिनांक 28–04–2015 को आवेदक के अधिवक्ता अभिभाषक संघ के निर्णय के अनुसार सामुहिक रूप से कार्य से विरत थे आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था इस कारण आवेदक नियत दिनांक 28–04–2015 को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पेरवी में खारीज हो गया इसकी जानकारी आवेदक के अधिवक्ता को जुन माह के प्रथम सप्ताह मेंदिनांक 2–6–2015 खारीज प्रकरणो की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है.

3. यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणागुण पर सुनवायी की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा.

अतएव प्रार्थना है कि, आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण क्रमांक--आर 972--दो/2002 पुनः स्थापित किया जाकर प्रकरण के गुण--दोषो पर सुनवायी किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जायें.

इति दिनांकः 09–06–2015

आवेदकगण

द्वारा अधिवक्ता

(एस.के. वाजपेयी)